कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुरादाबाद।
(एल–25, रामगंगा विहार, फेस–प्रथम, सोनकपुर स्टेडियम, काँठ रोड, मुरादाबाद–दूरभाष सं0–0591–2450066)

पत्रांक 1228 / 14-1 दिनांक, मुरादाबाद, अक्टूबर 15, 2015.

सेवा में,

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

विषयः– राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–93 अलीगढ़–मुरादाबाद खण्ड के कि0मी0 205.000 से 232.000 तक दो लेन चौड़ीकरण कार्य हेतु संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित बाधक वृक्षों के पातन की अनुमति के संबन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक क्रम में अवगत कराना है कि जनपद मुरादाबाद में परियोजना निदेशक,भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,मुरादाबादद्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–93 अलीगढ़–मुरादाबाद खण्ड के कि0मी0 205.000 से 232.000 तक दो लेन चौड़ीकरण कार्य हेतु क्षेत्रफल 14.4852 हे0 संरक्षित वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य प्रस्तावित है, जिसके कारण वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत वन भूमि हस्तांतरण का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाना है।

अतः वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अनुसार निर्धारित प्रपत्रों में विषयक प्रस्ताव एम0ओ0ई0एफ0 वेबसाईट पर डी0एफ0ओ0, मुरादाबाद के स्तर से फार्म–।। अपलोड कर दिया गया है तथा प्रस्ताव 5 प्रतियों में संलग्न कर संस्तुति सहित प्रेषित किया जा रहा है। कृपया अपने स्तर से अग्रिम कार्यवाही कर प्रस्ताव उच्च स्तर को प्रेषित करना चाहें।

संलग्नक–प्रस्ताव की 4 प्रतियाँ मूल में।

भवदीय,

(डा0 बी0सी0 ब्रह्मा)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मुरादाबाद।

पत्रांक / दिनांकित।

प्रतिलिपि परियोजना निदेशक,भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,3सी/446, बुद्धि विहार (स्प्रिंग फील्ड स्कूल के पीछे)मुरादाबादको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डा0 बी0सी0 ब्रह्मा)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मुरादाबाद।

Deepak/D/m/GL-6.doc 151